न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या:– 329 / 15 दायर दिनांक:– 27.08.2015

1– पप्पुराम दत्तक पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी गडरिया तह.जायल जिला नागौर।

.........................प्रार्थी

बनाम

1– चेतनराम पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी गडरिया तह. जायल।
2– नथीदेवी पत्नि सोहनराम जाति मेघवाल निवासी गडरिया तह. जायल।
3– हडमानराम पुत्र सोहनराम जाति मेघवाल निवासी गडरिया तह. जायल।
4– मांगीलाल पुत्र सोहनराम जाति मेघवाल निवासी गडरिया तह. जायल।
5– गेनाराम पुत्र सोहनराम जाति मेघवाल निवासी गडरिया तह. जायल।
6– भंवरी पुत्री सोहनराम जाति मेघवाल निवासी गडरिया तह. जायल।
7– श्यामाराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी गडरिया तह. जायल।
8– किशनाराम पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल निवासी गडरिया तह. जायल समस्त जिला नागौर (राज.)
9– चम्पालाल पुत्र मंगाराम जाति मेघवाल निवासी नोडिया तह. सुजानगढ।
10– भींयाराम पुत्र मंगाराम जाति मेघवाल निवासी नोडिया तह. सुजानगढ।
11– तुलछादेवी पत्नि हरीराम जाति मेघवाल निवासी नोडिया तह. सुजानगढ।
12– कुशलाराम पुत्र हरीराम नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता तुलछादेवी पत्नि हरीराम जाति मेघवाल निवासी नोडिया तह. सुजानगढ समस्त जिला चूरू।
13– तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251(क) RT Act.

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री बस्तीराम ढाका प्रार्थी की और से।
2. श्री हनुमानराम मण्डा अप्रार्थी 01 व 12 की और से।

23.1.18
उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner

-:: निर्णय ::-

दिनांक 23.03.18

प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम गडरिया का निवासी है। ग्राम गडरिया के खेत खसरा नम्बर 14 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार है। जिस के दक्षिण दिशा में खेत खसरा नम्बर 13 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा किस्म बा.2 अप्रार्थी सं. 01 से 12 का खेत आया हुआ है। जिस के दक्षिण दिशा में कटाणी रास्ता है। जो राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 71 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा है जिस की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। मुझे मेरे खेत में आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शा के मार्क अ से ब में दर्शित अनुशार चौडाई में 12 फुट के रास्ते की खसरा नम्बर 14 में आने जाने के लिये आवश्यकता है। लेकिन उक्त भूमि में जाने के लिये राजस्व रिकोर्ड में कोई रास्ता अंकन नहीं होने से काश्त करने में भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिस से मुझे यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवशयक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त रास्ते का राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करवाने का तहसीलदार जायल को आदेश को प्रदान करावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत नये रास्ते के लिये आवेदन किया जा रहा है। इस भूमि में आने-जाने के लिये मौजा गडरिया के खसरा नम्बर 13 की पूर्वी माठ पर से नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क अ से ब के अनुशार 12 फुट चोडा नया रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रभावित खातेदारों को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी 01 व 12 की ओर से हनुमानराम मण्डा ने वकालतनामा व जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थन पत्र में अंकित पेरा सं. 01 से 05 असवीकार है तथा आर टी एक्ट की धारा 251 के प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है इस प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारीज किया जावे तथा ग्राम पंचायत को लोटाया जावे। ख.न. 14 के चिपते ही गै.मु. आबादी व गै.मु. गुवाह है ख.नं. 17 व 18 आये हुऐ है जिस में से प्रार्थी रोज आता जाता है रास्ता होने पर अतिरिक्त रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है जिस से

(सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) जायल)

23.3.18
उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागोर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से भी खारीज योग्य है क्यों कि मियाद में समायत करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 का पेश नहीं किया है तथा प्रार्थी ने रास्ते का विवाद कब पैदा हुआ समय तारीख सन् अंकित नहीं की है तथा प्रार्थी ने आबदी व गै.म.गुवाह अपने चिपते ही आये हुऐ होने का नहीं लिखा है इसलिये प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र हर्जा खार्चा खारीज किय जावे।

प्रकरण में तहसीलदार जायल से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार जायल ने पत्र क्रमांक/भू.अ./17/4673 दिनांक 27.12.17 के द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। तहसीलदार जायल ने अपनी रिपोर्ट पेशकर न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी मौजा गडरिया के खेत खसरा नम्बर 14 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा किस्म बा.2 का खातेदार है जिस में जाने के लिये दक्षिण दिशा में अवस्थित खेंत ख. नं.13 रकबा 29.18 बीघा किस्म बा.2 में से 12 फुट चौडा रास्ता चाहा है जो प्रार्थी के खेत के चिपता ही खेत है जो प्रार्थी के खेत के दक्षिण दिशा में अवस्थित है तथा खेत ख.नं. 13 के दक्षिण में चिपते ही खसरा नम्बर 71 है जो गै.मु. रास्ता है जो अप्रार्थीगण के खेत के चिपता है नजरी नक्शा के मार्क अ से ब तक 12 फुट चोडा रास्ता चाहा है जो खसरा नम्बर 71 किस्म गै.मु.रास्ता से लेकर खसरा नम्बर 13 के पूर्वी माठ से होकर खसरा नम्बर 14 तक निकटतम दुरी पर पडता है तथा जिस का रकबा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी बनता है तथा डी.एल.सी रेट से रास्ते के लिये दी जाने वाली भूमि की कीमत 74025 रू. बनती है।

बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही तथा उन्होंने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं.01 व 12 ने प्रार्थना–पत्र को गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी मौजा गडरिया के खसरा नम्बर 14 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा किस्म बा.2 में से आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की मौजा गडरिया के खेत खसर नम्बर 13 के पूर्वी माठ पर नजरी नक्शा के मार्क अ से ब तक 12 फुट चोडा रास्ता की मांग कर रहा है जो कटाणी रास्ते व प्रार्थी के खेत के चिपता खेत है तथा कटाणी रास्ते के निकटतम दुरी पर पडता है। काश्तकारी अधिनियम की

2.2.18
उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner

धारा 251(क) के अनुशार एक काश्तकार को उसकी भूमि में आने–जाने के लिए निकटतम दुरी पर रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। पत्रवली में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रार्थी की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवागमन के लिये रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार जायल ने खसरा नम्बर 14 मौजा गडरिया की पूर्वी माठ के चिपती भूमि को रास्ते के लिए नजरी नक्शा के मार्क अ से ब तक निकटतम दुरी पर बताया है। तहसीलदार जायल की रिपोर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपोर्ट मुताबिक रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार जायल की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मौजा गडरिया के खसरा नम्बर 13 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा किस्म बा.2 में से 12 फुट चोडा रास्ता रकबा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी माफिक नजरी नक्शा के अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है की डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि प्रार्थी से जमा लेकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तथा प्रार्थी से ली जाने वाली राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 01 से 12 को करें। तहसीलदार जायल को निर्णय की पलना हेतु तहरीर जारी हो।

23.3.18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 23.03.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

23.3.18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner